कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल

पत्रांक 72 /जि0पं0/कृषि भूमि/2020–21 दिनांक 18/06/2020

विज्ञप्ति/नीलाम–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत,सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्डवार **कृषिभूमियो** की नीलामी आगामी वर्षो दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 31.05.2023 तक तथा **नखासा रीठ** का नीलाम दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.3.2021 तक ठेके पर देने के लिए समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत सम्भल के सभागार (निकट बहजोई पब्लिक स्कूल बहजोई) में की जायेगी। बोलीदाता को **कृषिभूमि** की बोली बोलने से पूर्व अकंन रू0 10000.00 एंव **नखासा रीठ** की नीलामी हेतु अंकन 100000.00 रूपये जमानत के रूप मे जमा करने होगे। बोली समाप्ति के बाद बोली का समस्त धन जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी मे जिला पचांयत के पदाधिकारी/सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी व उनके सम्बन्धी एंव जिला पचांयत के बकायेदार बोली में भाग नही ले सकेगे। स्वीकृति के बाद निर्धारित दर के अनुसार ठेके पर स्टाम्प प्रस्तुत करने होगे। उपरोक्त तिथि मे जिन **कृषिभूमियो/नखासा रीठ** की नीलामी नही हो पायेगी तो उन्हे पुनः प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को उक्त स्थान व समय पर नीलाम किया जायेगा जो निम्न प्रकार है। **नीलाम समिति आवश्यक समझे तो जमानत राशि को कम/अधिक करने का अधिकार निहित होगा।**

वि0ख0 का नाम	**कृषिभूमियो का नाम**	**नीलाम दिनांक**
बनियाखेडा	प्र0पा0 नरौली,प्र0पा0 कैथल	**26.06.2020**
बिलारी	प्र0पा0 मल्हपुर भवानी तथा **नखासा रीठ**	**27.06.2020**
जूनावई	प्र0पा0 रिवाडा,दवथरा हिमान्चल	**29.06.2020**
असमौली	प्र0पा0 सैदपुर जसकौली	**30.06.2020**

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पचायत,सम्भल

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–नाजिर कलैक्टेट सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

2–नाजिर, जिला पचांयत सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

3–श्री अफजाल अहमद एवं श्री जय कुमार सिंह कर निरीक्षक तथा अमर सिंह सहायक निरीक्षक जिला पचायत,सम्भल को इस निर्देश के साथ कि व्यापक प्रचार–प्रसार एंव मुनादी कराकर ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित मुनादी रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की बेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5.विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र **अमर उजाला/दैनिक जागरण** सम्भल को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र मे न्यूनतम स्थान एंव लघुतम अक्षरों में एक बार शासकीय दरो पर प्रकाशित कराने के साथ ही बिल दो प्रतियो मे कार्यालय मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पचायत,सम्भल

Scanned with CamScanner